**प्रेस विज्ञप्ति**

**8.11.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसकी संबंधित संस्थाओं के खिलाफ चल रही धन शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बरहमपुर (ओडिशा) में चार परिसरों में 6.11.2025 को तलाशी अभियान चलाया है।

सीबीआई/एससीबी/कोलकाता ने मल्टी करोड़ चिट फंड घोटाले के संबंध में ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के खिलाफ दिनांक 04.06.2014 को एक प्राथमिकी दर्ज की।यह आरोप लगाया गया था कि विभिन्न समूह कंपनियों ने सैकड़ों भोले निवेशकों से पैसे एकत्र किए थे और अंततः उन्हें धोखा दिया था।उक्त राशि को भारी रिटर्न की आड़ में या 'ग्रीन पैराडाइज प्रोजेक्ट' में फ्लैट प्रदान करने के लिए एकत्र किया गया था।हालांकि, कंपनी ने न तो निवेश की गई राशि वापस की थी और न ही निवेशकों को कोई फ्लैट आवंटित किया था।निवेशकों द्वारा कथित कंपनी को भुगतान किए गए धन को वापस करने के लिए कहे जाने पर, कंपनी के प्रवंधान निदेशक(एमडी) ने अग्रिम के रूप में उनके द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने से इनकार कर दिया और उन्हें धमकी दी।इस प्रकार, जमाकर्ताओं को उक्त कंपनी द्वारा 69 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।

जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने अपराध की आय का शोधन किया था और इसे विभिन्न अचल संपत्तियों और अन्य संपत्तियों में निवेश किया था।

तलाशी अभियान के दौरान 84.20 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की गई।इसके अलावा, एक मर्सिडीज कार जीएलसी 200, अन्य दस्तावेजी साक्ष्य/डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए थे।तलाशी परिसर में विभिन्न अचल संपत्तियों के संपत्ति दस्तावेजों सहित विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज भी पाए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया था।

आगे जांच चल रही है।